न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सैन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 53/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/152

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री अनान खान पुत्र श्री हनीफ खान निवासी कायम नगर डीडवाना मैसर्स सुल्तानी होटल डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक ।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हरफुल राव।

–:आदेश:– दिनांकः 21.10.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीडवाना शहर में स्थित मैसर्स सुल्तानी होटल पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री अनान खान पुत्र श्री हनीफ खान निवासी डीडवाना उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किया हुआ पाये गये। श्री अनान खान से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री अनान खान द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवेध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर हैः–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एचपीसीएल	235520–P	12.4 किग्रा
2.	एचपीसीएल	232007	0

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स अस्मा गैस सर्विस डीडवाना के प्रतिनिधि श्री अशोक की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री अनान खान का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरफुल राव ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मैं सुल्तानी होटल मदीना मस्जिद के पास डीडवाना पर चिकन बिरयानी बनाने का कार्य करता हुं तथा उक्त दुकान पर मैने गैस ऐजेन्सी से गैस भरवाने हेतु अपने घर से गैस सिलेण्डर लाकर रखे हुये थे, उसी दरम्यान प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय डीडवाना–कुचामन की टीम ने यह कहते हुए की यह सिलेण्डर व्यवसायिक के रूप में काम में लिये जा रहे है ऐसा कहते हुए मेरे उक्त दोनों गैस सिलेण्डर जप्त कर लिये गये। जबकि मेरे उक्त दोनों सिलेण्डर दुकान के एक साईड में पडे हुये थे, जिनका व्यवसायिक के रूप में कोई उपयोग नहीं लिया जा रहा था। निवेदन करता हुं कि आगामी समय में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं गरीब परिवार से हूं तथा उक्त दुकान में चिकन बिरयानी बनाने का कार्य करता हूं व मजदूर व्यक्ति हूं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय अनास खान के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग खाना बनाने में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के घर से लाना बताया है। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता हैं एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.10.30 10:17 IST
Reason: SelfAttested

(पुखराज सैन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन